छात्र उपयोगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

डॉ राम बिनोद रे
सहायक आचार्य
केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय
कासरगोड,केरल

सारांश (Abstract)
युवा मानवीय संसाधनों की सबसे बड़ी सम्पदा है। आज का युवा कल का भविष्य निर्माता है। जकड़े बेड़ियों को तोड़ने की क्षमता रखता है। प्रकाश रूपी वह दीपक हैए जो अन्धकार को चीरकर प्रकाश में परिवर्तित कर सकता है। शिक्षा युवाओं के अंदर उर्जा प्रदान करती है। दुसरे शब्दों में कहा जाए तो शिशुकाल से युवाकाल तक शिक्षा शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक और आध्यात्मिक क्षमताओं को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। जिसेसे चरित्र का निर्माण होता है। परिवार, समाज, राष्ट्र और राष्ट्रीयता, मानवता और मानवीयता को सुरक्षित करने हमारी मदद करता है। **गाँधी जी कहतें है** –'**शिक्षा धन सापेक्ष नहीं होना चाहिए | सूरज का प्रकाश सबके लिए है | बारिश सबके लिए है | उसी तरह शिक्षा सबके लिए सुलभ होनी चाहिए**' शिक्षा का अधिकार सभी को है। सबको एक-समान शिक्षा प्राप्त हो चाहे वह शहर का छात्र हो या गाँव का छात्र हो। नई शिक्षा नीति – '**सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता से युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने**' इसकी पुष्टि करता है |

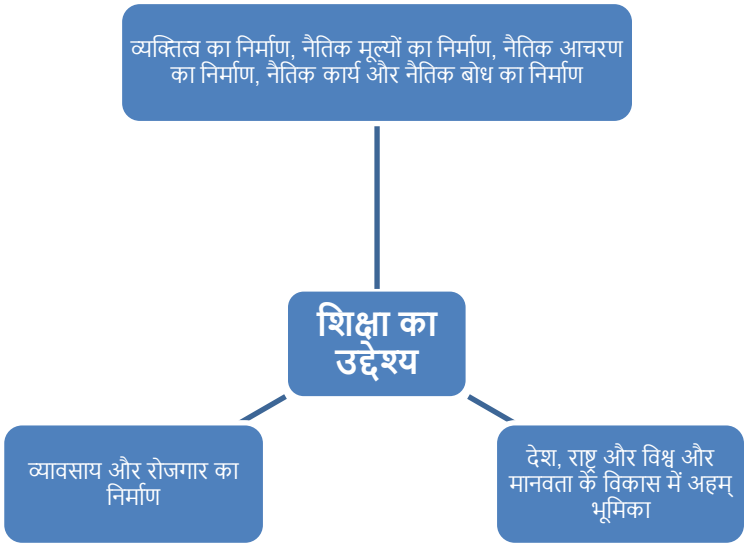

बीज शब्द - समतामूलक शिक्षा, भविष्योंन्मुखी व्यवसाय, बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रद्योगिकी मंच, उच्चस्तरीय अधिगम ।

आलेख विस्तार -

आजादी के बाद हमारे देश की सबसे पहली शिक्षा नीति 1960 में **कोठारी कमीशन** के तहत 1968 में लागू किया गया। दूसरी नीति 20 साल बाद 1986 में आई, उसी नीति को 1993 में संशोधन कर प्रस्तुत किया गया। इसके लगभग 34 साल बाद 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान सरकार के सानिध्य में आई। इस नीति का मसौदा 2019 **कस्तुरीरंजन कमिटी** द्वारा 400 पृष्ठों का मसौदा तैयार किया गया था, जो बाद में 66 पृष्ट की शिक्षा नीति हमारे सामने मौजूद है। पूर्व की नीतियों में सबसे बड़ी चुनौतियां थी शिक्षा को हर बच्चा,परिवार, घर, मुहल्ला, समुदाय, समाज, जाति, वर्ग तक पहुचाया जाए। चाहें 1960 का हो या फिर 1986 का हो। 1992 में बदलाव के तहत RTI अधिनियम 2009 में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागु किया गया इसमें कहा गया "संविधान अधिनियम 46वें संशोधन 2002 में भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 (क) राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में सभी बचों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है" दुसरे शब्दों में कहा जाए तो निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा RTI अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार है। दूसरी तरफ इस शिक्षा नीति में अन्तराष्ट्रीय मानकता को केंद्र में रखा गया है। भारत की नयी शिक्षा नीति 5+3+3+4 है वही जापान की शिक्षा नीति 6+3+3+4 है। छात्रों की दृष्टि से 2020 की शिक्षा नीति कितना मूल्यवान उसे मैंने निम्नांकित बिन्दुओं में विभाजित करने का प्रयास किया है -1. समावेशी गुणवत्तामूलक जीवन पर्यंत शिक्षा 2. अनुसंधान परक शिक्षा 3. मानव मूल्य और नैतिकता से युक्त शिक्षा 4. अधतन अधुनातन शिक्षा पद्धति 5. विषय चयन की स्वतंत्रता 6. रोजगार परक शिक्षा 7. बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी के विकल्प 8. विद्यालय,

महाविद्यालय, और विश्वविद्यालय के आंतरिक और प्रवेश परीक्षा से संबंधित नई शिक्षा नीति की कई मूलभूत परिवर्तन रेखांकित करता है – **'एक राष्ट्र एक शिक्षा की संकल्पना' को उज्जागर करता है**

1.समावेशी गुणवत्तामूलक जीवन पर्यंत शिक्षा

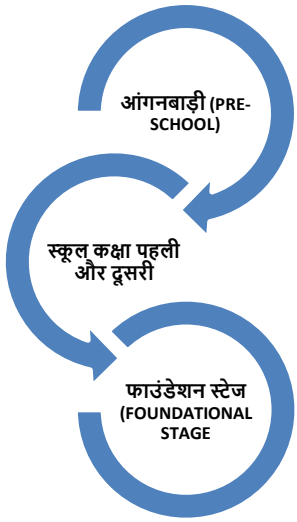

पाठ्यक्रम की संरचना चार भागों में विभाजित किया गया है। **पहला स्टेज – फाउंडेशन स्टेज (FOUNDATIONAL STAGE)**- 3 वर्ष से 8 वर्ष तक। जिसमें दो पड़ाव है **प्रथम** – आंगनबाड़ी (PRE-SCHOOL) **द्वितीय** स्कूल कक्षा पहली और दूसरी के लिए। पुराने ढांचे 10 + 2 के स्थान पर अब 5+3+3+4 में बदला गया है। 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षण (ECCE)की एक मजबूत बुनियाद रखी गई | इस बुनियाद के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण रहा है अब तक 6 वर्ष के बच्चे पहली कक्षा में आते थे जबकि बच्चों का 85 प्रतिशत मष्तिष्क विकसित हो चुका होता है इसके बावजूद बच्चे प्राम्भिक शिक्षा से वंचित रह जातें है जबकि महानगरों, शहरों, विकसित कस्बों में बुनयादी रूप में PLAY SCHOOL, NURSERY SCHOOL में UKG, LKG के माध्यम से बच्चों का विकास तीसरे वर्ष से ही आरम्भ हो जाता है। जिसके परिणामस्वरूप संपन्न-साधन परिवार के बच्चों की तुलना में सामान्य छात्र वंचित रह जाते हैं और अपने को हीनता से ग्रसित महसूस करतें है।

इसी समानता को ध्यान में रखकर वर्त्तमान सरकार ने 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राम्भिक बाल्यावस्था का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए कहा गया EECCE में निवेश से इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक बराबर हो सकती है जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने का समान अवसर मिल सकेगा या इसे इस रूप में कहा जाए '**समतामूलक शिक्षा का अधिकार**' का प्रावधान रखा गया है। यह मिशन 2030 तक पूरा करने का प्रावधान रखा गया है।

इस परियोजना में आंगनबाड़ी की भूमिका अहम् होगी उनके कार्यकर्ताओं द्वारा इस मिशन को पूरा किया जाएगा। पहले आंगनबाड़ी का उदेश्य बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बालविकास सेवा कार्यक्रम में भाग के रूप में 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आंगनबाड़ी का मतलब है **"आंगन आश्रय"** अर्थात् स्वस्थ संबंधी देखभाल, जाँच और टीकाकरण आदि है। वर्तमान में यह योजना हर विकसित गाँव, क़स्बा शहर और महानगर में चलाई जा रही है। कई राज्यों में तो **प्ले स्कूल** जैसी दिखाई देती है पर है नहीं। प्रत्येक पंचायत में लगभग 15 के करीब आंगनबाड़ी है। प्रत्येक आंगनबाड़ीक्षेत्रफल 800 मीटर का है, इसमें बच्चों की सारी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो सकती जिसे विकसित और विस्तार किए जाने का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी में बच्चों को खेल, संगीत, भ्रमण, स्थानीय पर्यटन, प्रेप्रट्री के छात्रों से मेल-मिलाप आदि का सहयोग लिया जाएगा। यह केंद्र सरकार द्वारा एक सराहनीय कदम है। परियोजना के माध्यम से बच्चों के मानसिक स्तर में वृद्धि, वस्तु-पदार्थ, प्राकृतिक संसाधनों से परिचय प्राप्त करेंगे और सीनियर छात्रों से मेल मिलाप और दृष्टि में परिवर्तन होगा।

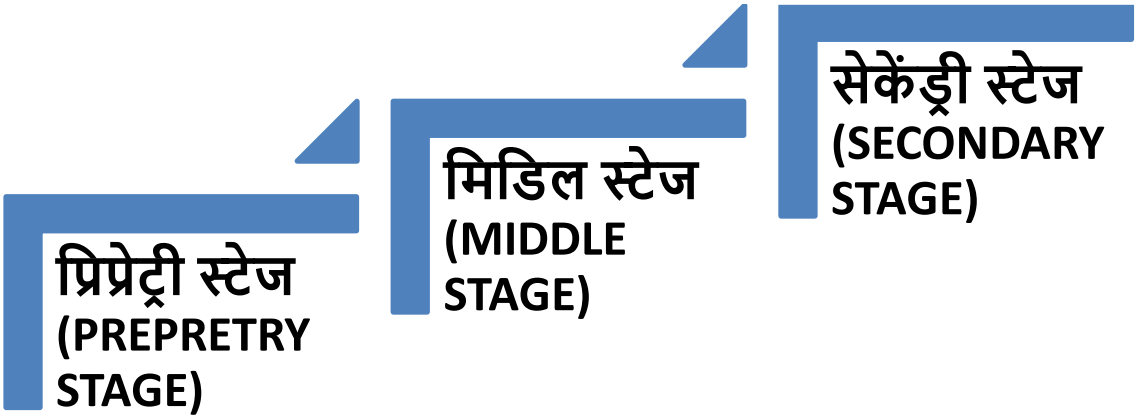

दूसरा स्टेज - प्रिप्रेट्री स्टेज (PREPRETRY STAGE) - 8 वर्ष से 11 वर्ष कक्षा 3 से 5 यहाँ खेल-कूद, खोज गतिविधि आधारित भाषा पढने, लिखने, बोलने शारीरिक शिक्षा, कला आदि विषयों को हल्केपन तरीके से संवादात्मक कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाएगा।

तीसरा स्टेज – मिडिल स्टेज (MIDDLE STAGE) – 11 वर्ष से 14 वर्ष कक्षा 6 से 8 तक कार्य विज्ञान, गणित, कला, समाज विज्ञानं,व्यवसाय, मानविकी से संबंधित शिक्षण का विषय होगा।6 से 8 कक्षा तक **बस्ता रहित पीरियड** (समयावधि-10 दिन) होगा छुट्टियों के दिनों में ऑनलाइन माध्यम अलग-अलग कोर्स करवाई जाएंगी जैसे हस्तकला, पर्यटन स्थल का महत्व, शिल्पकला, कलाकारों, शिल्पकारों से मिलना आदि। इसी समय इंटर्नशिप **(Internsive)** की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी जिससे छात्र भविष्योंन्मुखी व्यवसाय रूचि पर आधारित ग्रहण कर सकतें हैं।

चौथा स्टेज – सेकेंड्री स्टेज (SECONDARY STAGE) - 14 से 18 वर्ष कक्षा 9 से 12 जिसमें बहुविषयक शिक्षण शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगी। विषय की गहराई आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर आधारित होगी। व्यावहारिकतामूलक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् सैधांतिक पद्धतियों पर विषय को समझने और समझाने का प्रयास किया जाएगा।

उच्चतर शिक्षा

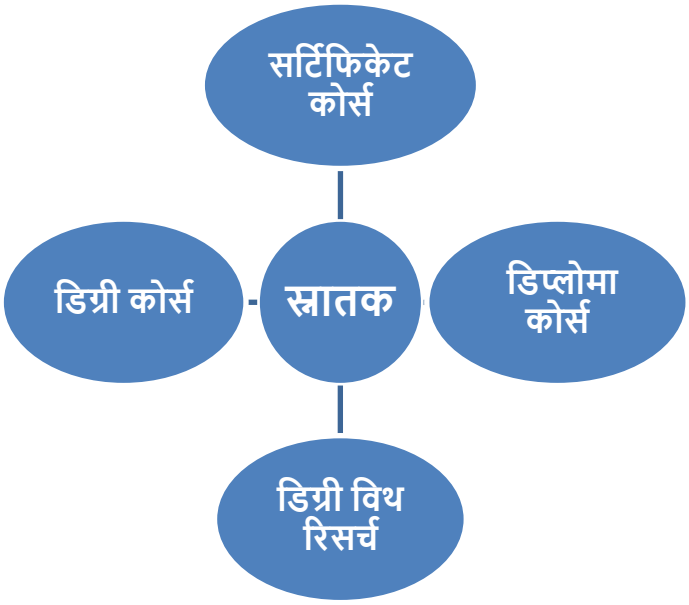

उच्चतर शिक्षा ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार बनाती है और मनुष्य के साथ सामाजिक कल्याण के विकास के साथ लोकतांत्रिकरण, न्यायपूर्ण,सामाजिक रूप से सचेत, स्वतंत्रता, समानता,भाईचारों का भाव,आजीविका को स्थाई देने आदि को केंद्र में रखती है। यह एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य अच्छे चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभावाले रचनात्मक व्यक्तित्व का विकास करना है। संवैधानिक मूल्यों बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव,रचनात्मक सेवा की भावना, व्यावसायिक, तकनीकि आदि विषयों से संबंधित क्षमताओं को विकसित करना है।*(10·3)*

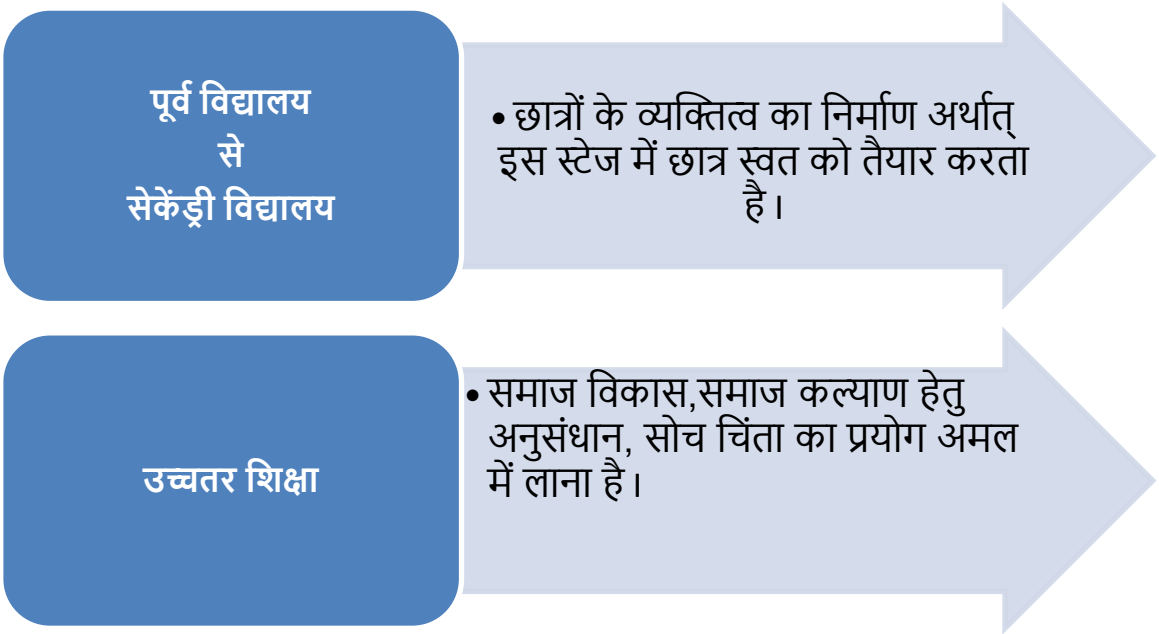

अनुसंधान के लिए **नेशनल रिसर्च फाउंडेशन(NEF)** की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से अनुसंधान के विविध विकल्पों की संभावनाओं का आंकलन किया जाएगा। **हायर एजुकेशन ऑफ़ इंडिया** के तहत अन्तर अनुशासनिक अनुसंधान को महत्व दिया जाएगा। बहुविषयक संस्थान जो उच्चस्तरीय अधिगम लर्निंग के लिए उच्चतर श्रेणी के शिक्षा शोध सामुदायिक भागीदारी के साथ स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए तीन तरह के विश्वविद्यालय –

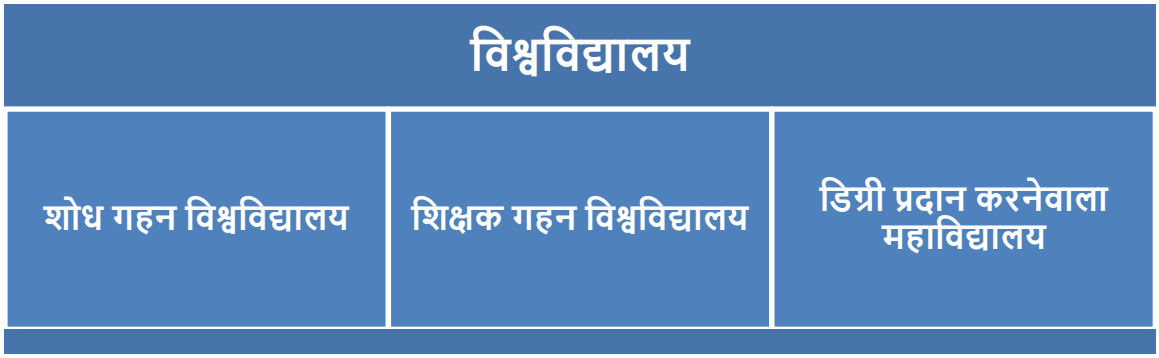

2030 तक प्रत्येक जिले में बहुविष्यक संस्थान होगा। इसका मुख्य उदेश्य सार्वजनिक और निजी का विकास होगा इसका निदेश स्थानीय भाषा अथवा भारतीय भाषा में होगा। इसके पीछे का उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना है। 2018 में 26.3 प्रतिशत थी, जिसे 2035 तक 50 प्रतिशत तक करने की संभावना है। इसके माध्यम से IIT और IIM से छात्र HUMANITIES के विषय को पढ़ सकते हैं। अभी तक केवल IIT दिल्ली, मुंबई और मद्रास में ही HUMANITIES और सोशल साइंस की पढाई होती है। अब छात्र अपने क्षेत्र में, अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

2.बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी के कई विकल्प से छात्रों को लाभ

स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया है। अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय से छात्रों को स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम को पूरा करने में एक वर्ष अतिरिक्त व्यय करना पढ़ता था जो अब नहीं करना पड़ेगा। अन्तराष्ट्रीय शैक्षिक मंच पर भारतीय छात्र खुलकर खड़े हो सकतें है। दूसरी ओर छात्रों को बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी के विकल्प भी मौजूद होंगे। चार साल में प्रथम वर्ष- **सर्टिफिकेट कोर्स**, द्वितीय वर्ष – **डिप्लोमा कोर्स**, तृतीय वर्ष – **डिग्री कोर्स**, चतुर्थ वर्ष-**डिग्री विथ रिसर्च** जिसमें छात्र किसी भी वर्ष अपनी पढाई को रोक कर प्रमाणपत्र के साथ निकासी कर सकता है। यदि छात्र भविष्य में चाहें कि उसे स्नातक की पढाई पूरी करनी है, उस समय पुनः छोड़ी गई पढाई को पुरी कर सकता है। इसके लिए उसके पास **अकादमिक क्रेडिट बैंक की व्यवस्था** होगी जो डिजिटल रूप में संकलित किया जाएगा। छात्र मौजूदा समय तक प्राप्त किये गए अंक क्रेडिट के रूप में भविष्य में पुनः उस कोर्स को पूरा कर सकता है। जिन छात्रों ने तीन वर्ष का स्नातक कार्यक्रम को पूरा किया है, उसे दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा और जिन्होंने चार वर्षीय अनुसंधान युक्त पाठ्यक्रम को पूरा किया है, वह केवल एक वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा कर विद्यावाचस्पति पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकता है। कला स्नातक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया है। पहले छात्रों को कला-स्नातक के पाठ्यक्रम में ढेड से दो साल व्यय करना पड़ता था जो अब नहीं है।

3.विषय चयन की स्वतंत्रता से छात्रों को लाभ

नई शिक्षा नीति में छात्रों को अपनी रूचि के अनुरूप विषय चयन की स्वतंत्रता होगी ऐसा अनुक्रमांक **4.2** में लिखा गया है –"यदि किसी की इच्छा हो वो ग्रेड 10 के बाद व्यावसायिक या किसी विशेषज्ञता प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11-12 में अन्य कोर्स के चुनाव के विकल्प लगातार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे।" अक्सर शिक्षक या प्रशासन द्वारा निर्धारित विषयों में से ही विद्यार्थियों को विषय का चयन करना पड़ता था। इस नीति के तहत विद्यार्थियों को चयन की स्वतंत्रता के साथ छात्र और अभिभावकों की भूमिका को भी नाकारा नहीं जाएगा। छात्रों में विषय से संबंधित रूचि पैदा करना, छात्रों के कौशल और मूल्यों की पहचान करवाना अत्यंत आवश्यक है। सौम्यता, सहृदयता की पहचान पाठ्यक्रम के माध्यम से करवाना जरुरी है। कोर्स चुनाव के माध्यम और विकल्पों के लचीलेपन से छात्रों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना है। माध्यमिक विद्यालय से यह प्रक्रिया शुरू होंगी। अपने अध्ययन और जीवन के रास्तें स्वयं तय करने का अधिकार होगा। इसके लिए प्रत्येक पड़ाव में छात्रों की रूचि और अभिरुचि का आंकलन किया जाएगा।

नए और रोचक कोर्स विकल्प के रूप में दिए जाएंगे। छात्र अपनी रूचि के अनुसार विषय चयन करता है अगर किसी कारण वश वह सही अंक प्राप्त नहीं कर पता है ऐसी स्थिति में विषय का मेजर (Major) और माइनर(Minor) विकल्प होगा जिसे वह चयन कर सकता है। मेजर पाठ्यक्रम में मानक मूल्यांकन करने की प्रक्रिया होंगी और माइनर में हल्केपन तरीके से मुल्यांकन किया जाएगा। पाठ्यक्रम में लचीलापन होगा – संचार, चर्चा, बहस, अनुसंधान क्रोस डिसिप्लिनरी आदि को केंद्र में रखा जाएगा।रुचिगत विषय के साथ इंटर्नशिप उपलब्ध करवाया जाएगा, जो स्थानीय व्यवसाय, उधोग, कलाकार, शिल्पकार आदि के रूप में होगा। बोर्ड की परीक्षा में अपनी रूचि के अनुरूप विषय चयन कर सकतें है।

4.शिक्षा का तकनीकिकरण से छात्रों को लाभ

वर्तमान समय में विश्व बहुत तेजी से परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। 'बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफीसियल इंटेलीजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनिकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीने काम करने लगीं हैं और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरुरत और मांग बढ़ी है।" इसके लिए **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रद्योगिकी मंच (National Education Technoledgy Forum - NETF)** की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो विद्यालयी शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन प्रशासन में सुधर हेतु एक मंच है। दूसरी ओर **'द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेरिंग (The Digital Infrastructure for Knowledge Shairing-DIKSHA)** का प्रावधान है। अतः तकनिकी प्रयोग शिक्षण अधिगम, शिक्षण परियोजना, दाखिला मैनेजमेंट पब्लिक डीलिंग के लिए भी इसका किया जा सकता है। वर्तमान कोरोनाकाल जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी अर्थव्यवस्था, शिक्षा पद्धति, व्यापार, उद्योग- धंधे से संबंधित निकायों और आदान-प्रदान के सभी स्तरों पर अपनी अहम् भूमिका निभाते हुए पाए गए। इसे देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विज्ञानं और तकनिकी को अहम् स्थान दिया गया है, जो एक सकारात्मक पहल है। हाँ यह एक अलग बात है कि तकनीक से संबंधित अनेक चुनौतियाँ हो सकती जिनसे हमें निपटना होगा। छात्रों के पास तकनीक से संबंधित संसाधनों की कमी जैसे लैपटॉप,टेबलेट, मोबाइल आदि। अभी मुझे यह यह आता है 2012 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति तकनिकी संसाधनों की कमी से निपटने के लिए सभी महाविद्यालयों के लिब्रेरेरी (LIBERARY) में हजारों की तादात में छात्रों और शिक्षकों के लिए लैपटॉप मंगवाई गई थीए जो आज भी छात्रों और बच्चों के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। पुस्तकों की भांति लैपटॉप को छात्रों के लिए जारी किया जाए। आने वाले समय NETF द्वारा उपलाभ्ध करवाए गए सामग्री का प्रयोग सामान्य छात्र **MOOC, E-CONTENT, ONLINE EXAMINATION, दिव्यांग SOFTWARE, VERTUAL LABS** आदि का प्रयोग करेंगे। अंक 2.6 में कहा गया है - एक राष्ट्रीय भण्डार उपलब्ध करवाया जाए ताकि शिक्षक और छात्रों के मध्य एक ब्रिज का कार्य करेगी। वर्चुवल लैब की सुविधा होगी। ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा देने की सुविधा होगी। सभी छात्रों पहले से लोड की गई सामग्री वाले टेबलेट जैसे उपकरण पर्याप्त रूप से दिए जाने की सुविधा होगी। *(24·4)*

5.व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को लाभ

इस नीति का सबसे अहम् मुदा रहा है कि छात्रों को किस प्रकार शिक्षा के दौरान रोजगार हासिल करने की क्षमता पैदा करना है। यह लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए। यह प्रक्रिया लगभग कक्षा 6 से आरम्भ हो जाएगी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त सेन जी लिखतें हैं - "ऊँची और टिकाऊ वृद्धि दर को हासिल करने में सफलता अंतत इस बात से ही आंकी जाएगी कि इस आर्थिक वृद्धि का लोगों तथा उनकी स्वाधिनाताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है।" वर्तमान समय में 19 से 25 वर्ष तक केवल 5 % छात्र ही व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर पातें है। स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा जैसी अनेक डिग्रियों को हासिल करने के पश्चात् भी बेरोजगारी की पंक्ति में खड़े पाए जाते हैं। जबकि अमेरिका में - 92%, जर्मनी में - 75%, कोरिया में - 96% में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करतें हैं। असल में छात्र विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने के पश्चात् मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हो जाते हैं। भविष्य अंधकारमय-सा होने लगता है। पता ही नहीं है। जीवन संचालन के लिए कौन-सा व्यावसाय को चुना जाए। इस शिक्षा नीति में यह ध्यान रखा गया है कि छात्रों को उनकी रूचि के अनुरूप कार्य मिल सके और उस कार्य से भारतीय समाज संस्कृति, राष्ट्र की अवधारणा को उभरा जा सके। फरवरी 2019 में भारत की बेरोजगारी दर 7.78 प्रतिशत थी, जबकि अमेरिका की 4%, जापान की 2.29 % और कोरिया की 4.8% थी। कोरोनाकल की महामारी से अप्रैल 2020 में अमेरिका की बेरोजगारी दर 14.70 % हो गई है। आकस्मिक समस्यायों से उबरने और उसका निदान हेतु बच्चपन से ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। अनुक्रमांक 4.44 में स्पस्ट किया गया है बच्चों की रूचि और विषय से संबंधित क्लब और सर्कल जैसी व्यवस्था होनी चाहिए और यह कार्य स्कूल और जिले के स्तर पर होना चाहिए जैसे- साइंस सर्किल, म्यूजिक सर्किल, चेस सर्किल, पोएट्री सर्किल, लैंग्वेज सर्किल, ड्रामा सर्किल, डिबेट सर्किल आदि। माध्यमिक विद्यालय के लिए ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही 4.27 में कहा गया है कि भारत का ज्ञान आधुनिक भारत के सन्दर्भ में योगदान, भविष्य का निर्माण, जनजातीय एथनों – औषधीय प्रथाओं, दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, वस्तुकला, चिकित्सा, कृषि, राज्यावस्था, संरक्षण, वन प्रबंधन, जैविक खेती आदि विषयों को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाने का प्रावधान है। इससे संबंधित पाठ्यक्रमों को NCERT द्वारा डिजाईन किया जाएगा।*(4·26)* **अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम 2020 - NCFSE 2020** राज्य और स्थानीय समुदाय द्वारा आनंदमयी कोर्स के द्वारा बढ़ई गिरी, बिजली का काम, धातु का काम, मिट्टी का बर्तन बनाना, बागवानी आदि जैसे कार्य किया जाएगा। छात्र स्वयं अपने हाथों से इस कार्य करने का अनुभव प्राप्त करेंगे।

पूर्व में व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 11 वी.और 12वी. से ही प्राप्त हो पाता था और उच्चतर शिक्षा में तवाजू नहीं दी जाती थी। अब इसे मुख्य धारा की शिक्षा बनाए जाने की पहल है। अब विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत किया जाएगा। कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सिखाया जाएगा ऐसा करने से भारतीय कलाओं, कारीगरी सहित अन्य व्यवसायों को पहचानेंगे। इसके लिए माध्यमिक विद्यालय,।TI, POLYTECNIC, स्थानीय उद्योगों का संपर्क और सहयोग प्राप्त होगा। सॉफ्ट स्किल जैसे विभिन्न कौशलों में कोर्स करवाया जाएगा। स्कूलों में हब **(HUB) SPOKE MODEL** में कौशल प्रयोगशाला स्थापित किए जाएंगे। **नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ़ वोकेशनल एजुकेशन (NCIVE)** व्यवसाय को रोजगार शिक्षा के केंद्र में होगा।

छात्रों को सिखाने के लिए आकर्षक पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण और निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन जरुरी है। नवाचार और लचीलापन लाने के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS-Choice Based Credit System) होगा। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में उच्चतर

गुणवत्तावाले सहायता केंद्र स्थापित होंगे जिनसे छात्रों को कैरियर परामर्श की उपलब्धता होगी। पाठ्यक्रम के बोझ को कम किया गया रटकर लिखने की बजाय रचनात्मक लेखन को महत्व दिया जाएगा।

6.विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना परिसर खोलने की अनुमति

भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के परिसरों को खोलने अनुमति दी गई। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह महत्वपूर्ण है। विदेश में जाकर एक छात्र को किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु एक वर्ष में 10 लाख रुपये खर्च करना पड़ता है, जो काफी महंगा है। भारत में समान गुणवत्तामूलक डिग्री को भारत में प्राप्त कर सकता है। विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता है। अन्तराष्ट्रीय अनुसंधान, प्रयोग और प्रविधि से अवगत हो सकतें हैं।

7.विद्यालयों और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की आंतरिक परीक्षा और प्रवेश परीक्षा

विद्यालयों में आन्तरिक परीक्षा के साथ-साथ रचनात्मक प्रक्रियाओं को भी महत्व दिया जाएगा पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु 360 डिग्री प्रगति कार्ड जो बहुआयामी होगा। जिसमें छात्र, अभिभावक, और शिक्षक की भूमिका भी होंगी। छात्र स्वयं को मूल्यांकित करेगा। सहपाठी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रोजेक्ट कार्य, खोज आधारित अध्ययन प्रदर्शन आदि को समलित किया जाएगा। अभिभावक और शिक्षकों की बैठक –जिसमें छात्रों का समूह कार्य , रोल प्ले और पोर्ट फोलियों पर विचार करेंगे। साल में दो बार परीक्षा होंगी जोखिम को ख़त्म करने के लिए एक और विकल्प होगा। परीक्षाओं के दबाव को कम करने के लिए वार्षिक, सेमस्टर, मौड्यूलर बोर्ड जैसी प्रणाली विकसित की जाएंगी। छात्रों का परिणाम बिना विद्याथियों का नाम लिए सार्वजनिक किया जाएगा।

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए केवल एक परीक्षा ही देनी होंगी जिसे **नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NATIONAL TESTING AGENCY)** देश भर में किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला हेतु मान्यता होगी। यह परीक्षा एक सामान्य ज्ञान से संबंधित और दूसरा विषय से संबंधित पेपर होगा। यह साल में दो-बार होगा बेहतर स्कोर के आधार पर दाखिला ले सकता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा मानक निर्धारक निकाय जैसे **राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (परख), स्टेट अचिवेमेंट सर्वे (STATE ACHIVEMENT SUEVEY) नेशनल अचिवेमेंट सेंटर (NATIONAL ACHIVEMENT CENTRE)** स्नातक और स्नातकोत्तर के प्रवेश परीक्षा और फेलोशिप NTA द्वारा तय किया जाएगा। *(4·41)*

8.सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छत्रों के लिए विशेष सुविधा

ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (NOS), नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ ओपन लर्निंग (NIOS), स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूल (SIOS) जैसी नए संस्थानों की स्थापना की जाएगी। भारतीय और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होगा। *(3·5)* एक-एक बच्चे के लिए ट्यूटरिंग, साक्षरता शिक्षण और अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाएँगी। अल्लुमनी **(ALUMANAI)** व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन देना और प्रौढ़ शिक्षा में सहयोग करना होगा। NCERT छात्रों को कम कीमत पर गुणवत्तावाले पुस्तकों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था। सभी पुस्तकें सॉफ्ट कॉपी और डाउनलोड करने की सुविधा होंगी। बाल भवन निर्माण की योजना, जिसमें सप्ताह के अंत में कला, खेल और केरियर से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी होगी। विकलांगों को शिक्षा देने के लिए 1986 की शिक्षा नीति में यह प्रावधान रखा गया था कि वे समाज में कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसके लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण और ऐच्छिक प्रयास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति

फाउंडेशन कोर्स में छोटे बच्चों को मात्रभाषा, घर की भाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षण दिया जाएगा यह प्रक्रिया ग्रेड 5 से 8 तक भी चलाया जाएगा। ज्ञान - विज्ञानं से संबंधित उच्चतर गुणवत्ता वाले पुस्तकें भारतीय भाषाओँ में प्रस्तुत की जाएँगी। बोलने वाली भाषा और शिक्षण की भाषा समान होनी चाहिए अन्यथा इसके बिच बाधा शिक्षण के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा है। – बच्चा रटना शुरू करता है, विषय से दूर भागता है , विषय पर बात करने से संकोच करता है और केवल उत्तीर्ण होने की कोशिश करता है। इन समस्याओं से उबरने के लिए वाचन और लेखन की भाषा में समान अधिकार प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी राज्यों की शिक्षण पद्धति में त्रि-भाषा सूत्र को अपनाने की बात कही गई है। इसमें एक विदेशी भाषा और दो भारतीय भाषा की अनिवार्यता है। यह प्रक्रिया ग्रेड 6 या 7 से आरम्भ की जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी द लैंग्वेज ऑफ़ इंडिया (The Language of India) की गतिविधि में भाग लेंगे। *(4·19)* ग्रेड 6 से शास्त्रीय भाषा और साहित्य के साथ अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता कोर्स के आलावा फ्रेंच, कोरियाई, स्पेनिश, रुसी आदि अनेक भाषाओँ का अध्ययन करने का विकल्प होगा।

सारांश –

नयी शिक्षा नीति राष्ट्र-निर्माण और नयी सोच को आधार बनाती है। मनुष्य के साथ सामाजिक कल्याण, लोकतांत्रिकरण, सामाजिक कल्याण,स्वतंत्रता,समानता, भाईचारों का भाव, आजीविका को स्थाई रूप देने आदि को केंद्र में रखती है। यह एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य अच्छे और बहुमुखी प्रतिभावशाली रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करना है। मूल्य, जिज्ञासा, व्यावहारिकता, सेवा-भाव, व्यावसायिक, तकनीकि आदि विषयों से संबंधित क्षमताओं को विकसित करना है। इसके लिए बहुविषयक संस्थान जो उच्चस्तरीय

अधिगम लर्निंग के लिए उच्चतर श्रेणी के शिक्षा शोध, सामुदायिक भागीदारी के साथ छात्रों में गुणवत्तामूलक दृष्टिकोण को चलाये जाने का प्रावधान रखा है; ताकि छात्र आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार , 2020.
2. हिन्द स्वराज, मोहनदास करमचंद गाँधी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 2011.
3. भारत और उसके विरोधाभास, अमर्त्य सेन और द्रेज ज्यां, (अनु),राजकमल प्रकाशन,दिल्ली-2019